भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3953
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अप्रैल, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों में शिशु देखभाल गृह

3953 श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार न्यायिक अवसंरचना निर्मित करने वाली केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत के लिए शिशु देखभाल गृह सुविधा के निर्माण को एक अनिवार्य आवश्यकता बनाने की मंशा रखती है ;

(ख) देश में शिशु देखभाल गृह सुविधायुक्त उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों की संख्या राज्य-वार कितनी है ;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है और इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(घ) आज की तारीख तक इन शिशु देखभाल गृहों में कितने बच्चों का पंजीकरण किया गया है और इनको भरे जाने की दर कितनी है, राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : मुख्यत: न्यायपालिका की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है । यद्पि, राज्य सरकारो/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए संघ सरकार ने 1993-94 से न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) का कार्यान्वयन किया है । इस स्कीम में, जब यह 2021-22 से 2025-26 तक बढाई गई थी, अधिवक्ताओं और कक्षीकार की सुविधाओं के लिए न्यायालय हालों और आवासीय इकाईओं के अलावा 3 नए संघठकों अर्थात्, अधिवक्ता हालों, प्रसाधन परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों को सम्मिलित किया गया हैं । यद्पि, राज्यों को स्थानीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार मानदंडों और विनिर्देशों को परिवर्तन करने के लिए स्कीम के अधीन पर्याप्त लचीलापन प्रदान किया गया है ।

शिशुशाला के संबंध में जानकारी सरकार द्वारा केन्द्रीय रुप से नहीं रखी जाती है । यद्यपि, भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने 2021 में इस विभाग के साथ साझा की गई न्यायिक अवसंरचना

और न्यायालय सुविधाओं की प्रास्थिति पर एक डाटा एकत्रित किया जिसके अनुसार 10 प्रतिशत न्यायालय परिसर बालक देखरेख कक्षों/सुविधाओं से सुसज्जित हैं ।

(ख) से (घ) : उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

******